



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 माघ 1940 (श०)

(सं० पटना 151) पटना, बृहस्पतिवार, 31 जनवरी 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

31 जनवरी 2019

एस० ओ० 23, दिनांक 31 जनवरी 2019—बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम 14), की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, 1 फरवरी, 2019 को उस तारीख के रूप में नियत करते हैं, जिसको बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम 14), की धारा 8 के खंड (2), धारा 17, धारा 18, धारा 20 के खंड (1) के सिवाय, उसके उपबंध लागू होंगे।

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-5) 399)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

31 जनवरी 2019

एस० ओ० 23, दिनांक 31 जनवरी 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-5) 399)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 31st January 2019

S.O. 23 Dated 31st January 2019—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2018 (14 of 2018), the Governor of Bihar hereby appoints the 1st day of February, 2019, as the date on which the provisions of the Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2018 (14 of 2018), except clause (2) of section 8, section 17, section 18, clause (1) of section 20, shall come into force.

[File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-5) 399]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 151-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>